संदर्भ :- NR-1/RKE/RTI/Avesh   दिनांक :- 21.12.2018

सेवामें,

श्री आवेश धीमान (एडवोकेट)

चैम्बर नं० 296, सिविल कोर्ट, रामनगर, रूडकी

जिला-हरिद्वार (उत्तराखंड)

विषय :- आपके द्वारा RTI दिनांक 24.11.2018 में मांगी गई जानकारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार है -

1. 400 के०वी० काशीपुर-रूडकी लाइन का निर्माण कार्य दिनांक 10.12.2010 को आरम्भ किया गया तथा इस पारेषण लाइन का निर्माण कार्य दिनांक 23.12.2015 को पूर्ण किया गया। उक्त पारेषण लाइन की लम्बाई 150.849 किलोमीटर है।
2. यह पारेषण लाइन जनपद उधम सिंह नगर, बिजनौर एवं हरिद्वार के तहसील काशीपुर, जसपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार एवं रूडकी से गुजरती है।
3. जनपद हरिद्वार में वृक्षों का मुवावजा समझौते के आधार पर किया गया तथा अन्य जनपदों में वृक्षों का मुवावजा वन विभाग के रेट लिस्ट के अनुसार दिया गया। सभी जनपदों में फसलों का मुवावजा कृषि अधिकारी / गन्ना समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई फसल की उत्पादकता एवं मूल्य के आधार पर किया गया।
4. जनपद हरिद्वार में वृक्षों की क्षतिपूर्ति हेतु किये गये भुगतान की दर की सूची संलग्न है।

भवदीय

21/12/18

(कृपा शंकर पाण्डेय)

उपमहाप्रबंधक,रुड़की

कृपा शंकर पाण्डेय / KRIPA SHANKAR PANDEY
उप महाप्रबंधक /DY GENERAL MANAGER
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के०वी० उपकेन्द्र, पुहाना, रूड़की -247667
400/220 K.V. Sub-Station, Puhana, Roorkee-247667

Scanned by CamScanner

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 की जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण कार्य में आ रहे गतिरोध को दूर किए जाने के सम्बन्ध में पावरग्रिड अधिकारियों एवं प्रभावित किसानों की बैठक दिनांक : 2/12/14, लक्सर का कार्य वृत्त।

1. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड काशीपुर से रुड़की तक 400 के. वी. पारेषण लाइन का निर्माण कार्य कर रहा है। इस क्रम में यह पारेषण लाइन लक्सर एवं रुड़की तहसील से गुज़र रही है। निर्माण के समय फसलों एवं वृक्षों की क्षति हो रही है जिसका भुगतान पावरग्रिड को प्रभावित व्यक्तियों को करना है।

2. महराजपुर कला, निरंजनपुर, डुगंरपुर, केवलपुरी, बहालपुर, दरगाहपुर आदि गाँवों के प्रभावित किसानों ने माननीय जिलाधिकारी, हरिद्वार को अपनी मांगों का ज्ञापन दिनांक 19/11/14 को सौंपा था, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों में नुकसान होने वाले वृक्षों एवं फसलों का अधिक मुआवजा देने की मांग की थी।

3. उक्त मांग के सम्वंध में पावरग्रिड प्रबन्धन ने विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर क्षतिपूर्ति का निम्न प्रकार से भुगतान का फैसला किया है।

(क) वृक्षों का भुगतान

(i) फलदार वृक्ष

क्र0सं0	वृक्षों की जाति	मूल्य, पाँच वर्ष से कम उम्र वाले वृक्ष	मूल्य, पाँच वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष
1.	आम	5000/-	31250/-
2.	जामुन	4500/-	11250/-
3.	अमरूद	2500/-	5000/-

(ii) गैर फलदार वृक्ष

क्र0सं0	वृक्षों के प्रकार	वृक्ष का मूल्य, व्यास 18" से कम	वृक्ष का मूल्य, व्यास 18" से अधिक
1.	शीशम, जमोया, सागौन, साल	10,000/-	34750/-
2.	तून	6063/-	14750/-
3.	नीम, इमली	2500/-	8625/-
4.	बबूल एवं अन्य	2500/-	5000/-

क्र0सं0	वृक्षों के प्रकार	वृक्ष की परिधि 18" से कम	वृक्ष का मूल्य, परिधि 18" से अधिक
1.	पापुलर/यूक्लिपटस	2500/-	5000/-

नोट :- जिन वृक्षों की आयु एक वर्ष से कम होगी उनका मूल्य हरिद्वार वन विभाग के रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

ईश्वर चन्द सैनी

Scanned by CamScanner

(ख) तार खींचने के कम में जो फसलें नष्ट होगी, पावर ग्रिड उनका मुआवजा टावर के मध्य से दोनों ओर 15–15 मीटर अर्थात कुल 30 मी0 चौड़ाई में फसलों के नुकसान की भरपाई एक बार ही करेगा एवं यह मुआवजा एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

पावर ग्रिड द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त भुगतान की शर्तों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वीकार किया गया।

ईश्वर चन्द सैनी
गाँव डुंगरपुर, पो० बिरेनानपुर

मुकेश सैनी उपप्रधानपति डुंगरपुर
S/o श्री मलखानसिंह डुंगरपुर

शिव कुमार अकौढ़ा खुर्द

धीरध्वज कुमार S/o श्री रणवीर सिंह
बहादुरपुरी

पावर ग्रिड

Mohkam Singh
Advocate

रामलाल अकौढ़ा खुर्द
शिव कुमार अकौढ़ा खुर्द

तहसीलदार
N.T. (L)

Scanned by CamScanner